राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

क्रमांकः– एफ.3(ख)(डी)93/2011/अलेसे–II/1042 दिनांकः–10-1-22

आदेश

श्री धर्मचन्द मीणा (जन्म तिथि 10.08.85) पुत्र श्री शंकर लाल मीणा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय पंचायत समिति सराडा, (उदयपुर) के विरूद्ध धारा 306 आईपीसी में मुकदमा संख्या 101/2016 दिनांक 16.11.2011 दर्ज होने एवं 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखे जाने पर दिनांक 21.11.2016 से विभागीय आदेश कमांक क्रमांकः– एफ.3(ख)(डी)93/2011/अलेसे–II/ 1535 दिनांक 05.12.2016 द्वारा निलंबित किया गया था। वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यवाही विवरण कमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 11.01.2021 की अनुपालना में विभागीय आदेश कमांक क्रमांकः– एफ.3(ख)(डी)93/2011/अलेसे–II/ 07 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री मीणा को निलंबन से बहाल कर उपकोषालय सलूम्बर में पदस्थापन किया गया था।

श्री धर्मचन्द मीणा के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में माननीय अपर सैशन्स न्यायालय सलूम्बर, (उदयपुर) के निर्णय दिनांक 02.09.2021 द्वारा धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक आरोप सिद्ध ठहराये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार अभियुक्त धर्मचन्द को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376 भा.द.स. के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 03 माह के साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताये जाने के आदेश दिये गये है। अतः यह माना जाता है कि उक्त श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का यह आचरण, जिसके कारण उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 एवं कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(3) कार्मिक/क–3/96 दिनांक 31.12.96 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार उक्त श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय उपकोषालय सलूम्बर (उदयपुर) को एतद् द्वारा न्यायालय निर्णय दिनांक 02.09.2021 से पदच्युत किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक कोष एवं लेखा

क्रमांकः– एफ.3(ख)(डी)93/2011/अलेसे–II/1042 दिनांकः–10-01-22

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र कमांक प.2(3) वित/राजस्व/2014 पार्ट दिनांक 30.09.2021 के कम में प्रेषित है।
2. उपशासन सचिव कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी अशाटीप कमांक प.2(2)(11)का./क–3/शिका./19 पार्ट दिनांक 27.09.2021 के कम में प्रेषित है।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अपर सेशन न्यायाधीश सलूम्बर जिला उदयपुर।
5. कोषाधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर।
6. उपकोषाधिकारी, सलुम्बर जिला (उदयपुर)।
7. श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकरी ग्रेड–II कार्यालय उपकोषालय सलुम्बर, उदयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा।
9. रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)